

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प.14(12)वित्त/कर/2019


जयपुर दिनांक: 17.08.2021

आदेश

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 88 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 9 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के निम्नांकित दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की कालावधि अथवा उनकी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने की तिथि, जो भी पूर्व हो, के लिए राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर का सदस्य नियुक्त किया जाता है :-

1. श्री केतन शर्मा (अतिरिक्त आयुक्त)
2. श्री गंगासहाय मीणा (अतिरिक्त आयुक्त)

आज्ञा से,



(टीना डबी)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय (वित्त)।
3. अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
8. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
10. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. संबंधित अधिकारी।
12. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव